अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| **28/03/2022** | **प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची**<br><br>**एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 12/2010**<br><br>**राजन टोप्पो बनाम् ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह**<br><br>प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–112R15/2008-09 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में आवेदक वाद दायर करने के पश्चात् ही लगातार अनुपस्थित रहे। दिनांक–11.09.2012 को इस वाद को सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुये उभयपक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने में कुछ विलम्ब हुआ किन्तु आवेदक लगातार अनुपस्थित रहे। जबकि विपक्षी इस वाद में नियमित रूप से अपनी हाजिरी देते रहे हैं। आवेदक की तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–10.06.2013 को दी गयी थी। दिनांक–02.03.2021 को इस वाद में सुनवाई की तिथि 22.03.2021 को निर्धारित की गयी किन्तु आवेदक अनुपस्थित रहे। दिनांक–14.02.2022 को विपक्षी के स्तर से अनुरोध किया गया कि प्रश्नगत् मामले में आवेदक लगातार अनुपस्थित है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी जाये। विपक्षी के अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना गया तथा उभयपक्षों को लिखित बहस दायर करने हेतु निदेशित किया गया। मात्र विपक्षी की तरफ से ही लिखित बहस दायर की गयी। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।<br><br>प्रश्नगत् वाद में ग्राम–मोरहाबादी, खाता नम्बर–125 के प्लॉट नम्बर–1600 एवं 1601 कुल रकबा–**17½** कट्ठा का विषय सम्मिलित है। विशेष विनियमन पदाधिकारी के समक्ष आवेदकों की तरफ से एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–882/2005–06 दायर किया गया था। उक्त वाद में उभयपक्षों के द्वारा वाद के सुनवाई हेतु पोषणीय होने के बिन्दु पर बहस की गयी तथा न्यायालय द्वारा इस वाद को सभी पहलुओं को जानने हेतु साक्ष्यों के परीक्षण के लिये सुनवाई हेतु योग्य घोषित किया गया। इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में अपीलवाद दायर किया गया, जिनके द्वारा प्रश्नगत् अपील को मान्य करते हुये सुनवाई हेतु पोषणीय नहीं माना गया। इस आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।<br><br>अपीलीय न्यायालय द्वारा मुख्यतः प्रश्नगत् विषय को रेस जूडीकांटा से प्रभावित घोषित किया गया है क्योंकि इसी भूमि के लिये विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय में एस0 ए0 आर वाद संख्या–114/82–83 दायर किया गया था, जो खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील अथवा | |

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| | पुनरीक्षण दायर नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण वर्ष–1957 तत्कालीन उपायुक्त द्वारा विविध वाद संख्या–23R08(ii)/1956-57 में निर्गत अनुमति के आधार पर किया गया है। अतः प्रश्नगत् भूमि पर भूमि वापसी का दावा दोबारा किया जाना उचित नहीं है।<br>आवेदक का दावा है कि उक्त कथित अनुमति के वाद में भूमि के हस्तांतरण हेतु कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट कारण के अभाव में उक्त अनुमति कानूनन वैध नहीं है। वर्तमान विपक्षी द्वारा भूमि का क्रय वर्ष–2005 में किया गया है, अतः प्रश्नगत् वाद कालबाधित भी नहीं है। विपक्षियों का कथन है कि प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण विधिवत् अनुमति प्राप्त करते हुये किया गया है। अतः उक्त हस्तांतरण में कोई छल–प्रपंच का कार्य नहीं है। यह वाद कालबाधित होने के साथ रेस–जूडीकांटा से भी प्रभावित है। अतः यह पुनरीक्षण आवेदन मान्य करने का कोई आधार नहीं है।<br>निम्न न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों प्लॉट, क्रमांक–1600 एवं 1601 विधिवत् उपायुक्त के स्तर से निर्गत अनुमति के आधार पर 1957 में ही निबंधित केवाला के माध्यम से हस्तांतरित किये जा चुके है। ऐसे दिये गये अनुमति को धारा–49 (5) के प्रावधानों के तहत् मात्र 12 वर्षों तक ही राज्य सरकार के द्वारा पुर्नविचार किया जा सकता है। प्रश्नगत् मामले में आवेदकों के द्वारा 40 वर्षों के पश्चात् पूर्व अनुमति के विषय को चुनौती दी जा रही है जो स्पष्टतः उचित नहीं है। इसी भूमि को लेकर लालू टोप्पो के द्वारा भी भूमि वापसी वाद दायर किया गया था, जिसे विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा वर्ष–1986 में ही इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। पुनः उसी भूमि को लेकर आवेदकों के द्वारा भूमि वापसी का दावा किया गया है, जो स्पष्टतः पोषणीय (Maintainable) नहीं है। 1957 में भूमि के हस्तांतरण के पश्चात् क्रेताओं के द्वारा नामान्तरण की कार्रवाई भी की गयी। किन्तु किसी भी रैयत के तरफ से उक्त वाद में कोई आपत्ति नहीं की गयी। पुनः उसी विषय पर वर्ष–2005 में नये विपक्षियों को सम्मिलित कर भूमि वापसी वाद दायर किया गया। स्पष्टतः यह विषय कालबाधित है, रेस–जूडीकांटा से ग्रसित है तथा भूमि का हस्तांतरण भी कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में अनुमति प्राप्त कर किया गया है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br>Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI<br>Date: 2022.08.02 12:28:38 +05:30<br>Location: 192.168.1.40<br>प्रमण्डलीय आयुक्त<br><br>प्रमण्डलीय आयुक्त | |